...X(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3201–दो / 14 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.6.15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण नगर भूमि सीमा अधिनियम के संबंध में है, जिसके संबंध में क्षेत्राधिकारएवं विचाराधिकार राजस्व मंडल को नहीं है । अतः यह निगरानी क्षेत्राधिकार न होने से निरस्त की जाती है । आवेदक सूचित हों । सदस्य	

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प जबलपुर म.प्र.

निगरानी क्रं. R-3201-II/2014

निगरानीकर्ता :- लटोरी काछी आत्मज जुगराज काछी, निवासी- पिपरिया जिला जबलपुर द्वारा आम मुख्त्यार लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा आत्मज रामनरेश मिश्रा, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी- पिपरिया, तहसील व जिला जबलपुर म.प्र.

विरुद्ध

उत्तरार्थीगण :-

1. म.प्र. शासन द्वारा अंपर कलेक्टर जबलपुर म.प्र.
2. तहसीलदार पनागर, जिला जबलपुर म.प्र.
3. पटवारी हल्का नं. 21, पनागर जिला जबलपुर म.प्र.

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता अधीनस्थ न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रं. 61/बी-121/88-89 में पारित आदेश दिनांक 01.06. 2011 से क्षुब्ध होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है कि:-

1. यह कि, अपीलार्थी मौजा पिपरिया तहसील व जिला जबलपुर न.बं. 167, पटवारी हल्का नं. 21, के खसरा नं. 5/2 रकवा 0.012 हे. एवं ख.नं. 21 रकवा 0.445 हे. भूमि का भूमिस्वामी है।
2. यह कि, न्यायालय सक्षम अधिकारी अर्बन लैण्ड सीलिंग जबलपुर के धारा 6(2) अर्बन लैण्ड सीलिंग अधिनियम 1976 के अंतर्गत अपीलार्थी को प्राप्त नोटिस के आधार पर अपीलार्थी ने सक्षम अधिकारी अर्बन लैंड सीलिंग जबलपुर के समक्ष दिनांक 22.01.82 को विवरणी प्रस्तुत